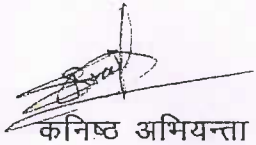


:: प्रारूप-54 ::

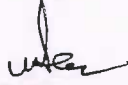
परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गडसारी-कुल्याणी मोटर मार्ग का विस्तार 3.00 किमी०

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



R. S.
अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)